न्यायालय तहसीलदार सरदारशहर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी श्री कमलेश महरिया RTS सरदारशहर

प्र0सं. 12/2022 अन्तर्गत भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91

सरकार **बनाम** सुमेरसिंह पुत्र रेवंतसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम राजासर बीकान तहसील सरदारशहर जिला चूरू।

:–निर्णयः–

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का राजासर बीकान ने रिपोर्ट पेश कर अंकित किया कि **सुमेरसिंह पुत्र रेवंतसहि जाति राजपूत निवासी ग्राम राजासर बीकान तहसील सरदारशहर जिला चूरू** द्वारा रोही मौजा राजासर बीकान के खसरा नं0 249 तादादी 4.66 हक्टे. गैर मुमकिन रास्ता की भूमि में से 0.0030 हैक्टे. भूमि पर नाजायज रूप से तारपट्टी कर अतिक्रमण किया गया है। जिसकी पुष्टि संबंधित हल्के के भू.अ.नि. द्वारा भी की गयी।

हमने पटवारी व भू.अ.नि. की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत दर्ज किया। अप्रार्थी को धारा 91 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया।नोटिस की अप्रार्थी को विधिवत तामील करवाई गयी। तामील की प्रति पत्रावली के सलंग्न है। नोटिस के प्रत्युतर में अप्रार्थी ने जवाब नोटिस प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का रास्ता अवरूद्व नहीं किया गया है तथा यह भी अंकित किया कि अप्रार्थी का अगर रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण पाया जाता है तो अप्रार्थी का अतिकमण हटा दिया जाये जिससे अप्रार्थी को कोई उजर आपति नहीं होगीं।

अप्रार्थी ने अपने जवाब में यंह अंकित तो किया है कि अप्रार्थी का कोई अतिकण कर रास्ता अवरूद्व नहीं किया गया है लेकिन अतिकमण के संबंध में हल्का पटवारी ने रिपोर्ट पूर्ण जांच कर व सही नाप कर ही न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है जिसे भू.अ.नि. भी ने प्रमाणित किया है। जिससे अप्रार्थी का प्रथम दृष्टया ही जवाब सारहीन प्रतीत होता है इसका तात्पर्य अप्रार्थी ने सिर्फ न्यायालय का समय जाया करने व न्यायालय को गुमराह करने के लिए सारहीन जवाब प्रस्तुत किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kamalesh Singh Maharia
Date: 2022.12.14 16:38:04 IST
Reason: SelfAttested

पटवारी हल्का की रिपोर्ट और अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सारहीन जवाब से यह स्वतः सिद्ध होता है कि अप्रार्थी ने खसरा नं. 249 तादादी 4.66 हैक्टे गै.मु.रास्ते की भूमि में से 0.0030 हैक्टे भूमि पर अवैध अतिकमण कर रखा है जिसका अप्रार्थी को कोई विधिक अधिकार नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड

Scanned by CamScanner

अंकित कटाणी रास्ते को अवरूद्व कर देना न्यायोचित नहीं है जिसके फलस्वरूप अप्रार्थी के विरूद्व नियमानुसार कठोरतम निर्णय पारित किया जाना उचित है जिससे भविष्य में कोई खातेदार कटाणी रास्ते/राजकीय रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण न कर सके।

हमने पत्रावली का अद्योपांत अध्ययन किया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट, भू.अ.नि. की जांच रिपोर्ट का सूक्ष्मता से अध्ययन किया। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अप्रार्थी का रोही मौजा राजासर बीकान के ख.नं. 249 तादादी 4.66 हैक्टे. गैर मुमकिन रास्ता की भूमि में से 0.0030 हैक्टे. भूमि पर अनाधिकृत कब्जा है जिसको अविलम्ब हटवाया जाना न्यायसंगत है।

अतः अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाकर अप्रार्थी पर आरोपित दोष सिद्ध होना पाये जाने पर अप्रार्थी को भू.राजस्व का 50 गुणा अर्थात् 10 रू. तावान के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। हल्का पटवारी तावान राशि कायम कर अप्रार्थी से वसूल कर राजकोष में जमा करवायें। भू.अ.नि. वृत रंगाईसर को आदेशित किया जाता है कि अतिक्रमी को मौके से बेदखल कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में पेश करे।

पत्रावली निर्णय में शुमार की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भेजी जावें। निर्णय आज दिनांक 23.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया

कार्यालय तहसीलदार सरदारशहर (चूरू)

ग.ले.सं. 4 (सिवायचक/गोचर)
वर्ष 22-23 के पृष्ठ स. 2/8
कायम की गई।
पर राशि रू. 10 की मांग

तह. राजस्व लेखाकार
तहसील सरदारशहर

(कमलेश महरिया RTS)
तहसीलदार
सरदारशहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kamalesh Singh Maharia
Date: 2022.12.14 16:38:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner